P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL. -5, ISSUE-4, May - 2017
E: ISSN No. 2349-9435 Periodic Research

भारतीय रेल में यात्रियों के सामान की चोरी, जहरखुरानी तथा हत्या के मामलों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (वर्ष 2012–2014)

शिव कुमार कुर्रे
शोध छात्र,
विधि अध्ययन शाला,
पं. रविशंकर शुक्ल वि. वि.,
रायपुर

ए.ए.खान
विभागाध्यक्ष,
विधि अध्ययन शाला,
पं. रविशंकर शुक्ल वि. वि.,
रायपुर

सारांश

यह शोध–पत्र द्वितीयक तथ्यों एवं व्यवहारिक अवलोकन पर आधारित है। द्वितीयक तथ्यों में भारत के संसद–राज्यसभा की कार्यवाहियों का संकलन कर सामग्री विश्लेषण पद्धति का प्रयोग किया गया है। वर्ष 2012 से जनवरी, 2015 तक की स्थिति में राज्यसभा के सदस्यों द्वारा पूछे गये तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों के प्रश्नोत्तर में रेल मंत्रालय द्वारा उपलब्ध सामग्री का विश्लेषण किया गया है। हालांकि शोधकर्ता ने भारतीय रेल सेवाओं में यात्रियों की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को आधार मानकर नमूनो की चयन किया है। इसके अलावा रेल यात्रा के दौरान वर्ष 2012 से 2014 तक विभिन्न जोनों में होने वाले चोरी, हत्या एवं जहरखुरानी जैसे घटनाओं का नमूना चयन कर सामग्री विश्लेषण किया गया है।

वर्ष 2012 में विभिन्न जोनों से 8225 चोरी की घटनाएँ, हत्याएँ 29 तथा जहरखुरानी की 652 घटनाएँ हुई। इसी तरह वर्ष 2013 में चोरी की कुल घटनाएँ 9191, हत्या 32 तथा जहरखुरानी 473 थी। वर्ष 2014 में चोरी 11460, हत्या 30 तथा जहरखुरानी 437 घटनाएँ रेलवे पुलिस द्वारा पंजीबद्ध किए गए थे। अर्थात रेल यात्राओं के दौरान यात्रियों की सामान चोरी होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। जबकि रेल यात्राओं में हत्या जैसे वारदातें कम हो रही है।

देश के जनप्रतिनिधियों का मानना है कि रेलवे सुरक्षा के लिए अधिनियमित त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में राजकीय पुलिस को अधिक जवाबदेही तय की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा रेलवे सुरक्षा बल की रेल संपत्तिओं की सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया है। रेलवे एवं यात्रियों की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के लिए तीनों केन्द्रीय, राजकीय एवं जिला पुलिस बल को समन्वयकारी एवं सहयोगात्मक व्यव्स्था को अपनाने की जरूरत है।

मुख्य शब्दः संसद, रेल, सुरक्षा, यात्री।

प्रस्तावना

आर्थिक विकास में परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में स्थल एवं जल परिवहन के साधन मुख्यतः रहे है। इसी साधन–सुविधा से व्यक्ति पथ एवं जल गमन की सुदृढ़ व्यवस्था को सुगम बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उनके शीर्षस्थ पदाधिकारियों द्वारा अपनी साम्राज्यवादी आवश्यकताओं जैसे वृत्ति, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम को सुगम बनाने एवं उनकी पूर्ति करने हेतु आवागमन के नवीन साधनों का विकास किया। इग्लैण्ड में औद्योगिकी क्रांति के कारण परिवहन के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। लोहे की खोज के बाद लोहे की पट्टी पर चलने वाले रेल के इंजन की खोज की गई जो स्थलीय यातायात के लिए बहुपयोगी था। 1830 में पहली बार इग्लैण्ड में मैनचेस्टर से लिवरपुल के मध्य रेल चली थी। इसी तरह भारत में 16 अप्रैल, 1853 को बम्बई से थाणे के मध्य 34 कि0मी0 की दूरी की रेल लाईन में तीन लोकोमोटिव इंजनों का प्रयोग की गई थी।

भारतीय रेल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत सन् 1825 में ब्रिटेन में रेलवे की शुरूवात हुयी थी इसके पश्चात् रेलवे की मॉग एवं आवश्यकता पर पुरे विश्व का ध्यान आकर्षित हुआ था। इसी तरह क्रमशः सन् 1829 में फ्रांस, सन् 1830 में अमेरीका में रेलवे परिवहन प्रारंभ की गई। सन् 1831–1832 में पहली बार ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पास मांग रखी गयी कि मद्रास में रेल की शुरूवात किया जाये, जिससे आसानी से अरब सागर से हिन्द महासागर को पार किया जा सके। कावेरी नदी घाटी में रेल सड़क की एक लम्बी 150 मील

की कवेरीपटनम से कैरूर तक की योजना की शुरूवात की गई । सन् 1832 ई0 में रेलवे का संचालन का प्रयास किया गया था। सन् 15 जुलाई 1844 को ग्रेड़ इण्डियन पेनीन्सुला रेलवे कम्पनी का शुरूवात किया गया था। उपरोक्त दोनों प्रकार के योजना पर कई सालों तक विचार मंथन चलता रहा और आखिर में सन् 17 अगस्त 1847 को ईस्ट इण्डिया रेलवे कम्पनी एवं ग्रेड पेनीन्सुला रेलवे के बीच एक समझौता हुआ जिससे भारतीय रेलवे इतिहास का जन्म हुआ।[1]

भारत में रेल शुरूवात होने का श्रेय तत्कालीन गावर्नर जनरल लार्ड हॉडिग को जाता है क्योकि इन्होनें सर्वप्रथम रेलवे को नई दिशा देते हुए निजी कम्पनी को रेलवे निर्माण का प्रस्ताव दिया। भारत में रेलवे को एतिहासिक दृष्टि से देखे तो पहली बार रेल महाराष्ट्र (बम्बई) थाणे के मध्य 21 मील लगभग 34 कि.मी. की लम्बी रेल लाईन में 16 अप्रैल 1853 को चली थी।इस पहली रेल में तीन लोकोमोटिव ईंजनो का प्रयोग हुआ था,जो साहिब, सिन्ध और सुल्तान था।[2]

"आज भारतीय रेल व्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल परिवहन व्यवस्था है जो गांवों से शहरों को जोड़ते हुए प्रतिदिन 21,000 रेलों का संचालन करता है। यह उप महाद्विपों में फैले लगभग 8,000 स्टेशनों को एक साथ जोड़ते हुए प्रत्येक दिन लगभग 23 मिलियन यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए भारतीय रेलवे 19,000 रेलों का परिचालन करता है। अगर आबादी की दृष्टि से देखें तो यह संख्या आस्ट्रेलिया के समस्त आबादी के बराबर है। यह हर दिन करीब 3 मिलियन टन माल की ढुलायी करने के लिए 7. 421 हजार से ज्यादा मालगाड़ीयों का संचालन करता हैं। यह 65 हजार किमी मार्ग का जाल बिछा हुआ है जो पृथ्वी की परिधि से लगभग डेढ़ गुना है।"[3]

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध पत्र का अध्ययन का उद्देश्य भारतीय रेलो में यात्रीयों के साथ हो रहे अपराधों का अध्ययन किया गया है।

1. यात्रियों के साथ होने वाले अपराध मुख्यतः समान की चोरी, जहरखुरानी, हत्या जैसे अपराधों का अध्ययन करना।
2. यात्रियों के साथ हो रहे अपराधों के मुख्य कारणों का अध्ययन करना।
3. भारतीय रेलो में होने वाले अपराधों का सभ्य समाजों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
4. भारतीय रेलवे में होने वाले अपराधों का अध्ययन कर उसके रोकथाम के लिए सुझाव देना।

संबन्धित साहित्यो का अध्ययन

यह शोध पत्र को पूर्ण करने से पहले शोधकर्ता द्वारा दैनिक समाचार पत्र, विभिन्न प्रकार की पत्रिका एवं पुस्तको का सहारा लिया गया है साथ ही विशेष रूप से भारत के संसद राज्यसभा की कार्यवाहियों का अध्ययन किया गया है जिसमें राज्यसभा के माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये तारांकित एवं अंतारांकित प्रश्नों के उत्तर के आधार पर इस शोधपत्र को तैयार किया गया है, जिसमें सन् 2012 से 2014 तक की अपराधों मुख्यतः समान की चोरी, जहरखुरानी तथा हत्या के मामलों का विशेष रूप से अध्ययन किया गया है।

गुप्ता कृष्ण कुमार (1987) ने अपने पुस्तक Pickpockets the Mysterious Species में विशेष रूप से पाकेटमारो के विशेष तरीको का अध्ययन किया है, जिसमें उनके चोरी के विभिन्न तरीको को चिन्हाकित किया है। **चक्रवर्ती जे. एल. (2006)** के द्वारा किया गया अध्ययन में विशेष कर रेलवे में होने वाले अपराधों का रोक थाम की सुविधा पर मुख्यतः ध्यान दिया गया है। **सेतु रवि. आर. (2014)** में इन्होने अपने शोध लेख में यात्रियों की संतुष्टि व उनके सुविधाओं के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया है। **फिलिप टी. स्मिथ (2015)** ने अपने लेख में रेलवे स्टेशनों में समय की चोरी की दरो पर आतंकवादी घटनाओं के निवारक प्रभाव का अध्ययन किया गया है। भारतीय रेलवे मे होने वाले अपराधों पर शोधकर्ता द्वारा निम्न अध्ययनों के साथ साथ रेलवे स्टेशनों का निरिक्षण कर सुक्षाव दिये है।

भारतीय रेलवे के ज़ोन

आजादी से पहले भारतीय रेलवे में 09 जोन हुआ करते थे लेकिन भारत एवं पाकिस्तान बंटवारे के बाद भारत के हिस्से में सात आये।[4] वर्तमान में भारतीय रेलवे में 17 जोनों में विभक्त है जिसमें कोकड़ रेलवे जोन, रेलवे बोर्ड के अधीन कार्य करती है। साथ ही 16 रेलवे जोन 66 मण्डलों में बंटा हुआ है, जिसमें से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन 14 नम्बर पर स्थित है।

भारतीय रेलों के प्रत्येक जोन के प्रबंध उसके महाप्रबंधक के निगरानी में संचालित होता है तथा महाप्रबंधक को अपने जोन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। रेलवे बोर्ड के अधीन प्रत्येक महाप्रबंधक कार्य करता है। भारत सरकार, रेल मंत्रालय के अंतर्गत रेलवे बोर्ड कार्य करता है तथा रेलवे का उपरोक्त समस्त दायित्व एवं कार्यभार रेल मंत्री के अधीनस्थ होता है।

रेलवे सुरक्षा तंत्र

उपरोक्त रेल समुचित प्रबंधन के साथ साथ रेल गाड़ियों की, रेल यात्रियों की तथा रेल यात्रियों की समानों की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाना नितांत आवश्यक होता है। इन सुरक्षा व्यवस्था के बिना रेल प्रबंधन का उद्देश्य फलीभूत हो पाना सम्भव नहीं है। उपरोक्त समस्त स्थितियों के योग को रेलवे संगठन के रूप में जाना जाता है। अर्थात रेल प्रबंधन में रेल संचालन एवं सुरक्षा व्यवस्था समाहित है।

दिनांक 13 मार्च 2015 को राज्य सभा में माननीय सदस्य रवि प्रकाश वर्मा ने रेल मंत्री से अतांराकित प्रश्न के माध्यम से यह पूछा कि रेल संचालनों के लिए वर्तमान में त्रिस्तिरीय सुरक्षा प्रणाली को समाप्त किये जाने की जरूरत है या नहीं। इसके उत्तर में रेल मंत्रालय के राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने त्रिस्तिरीय सुरक्षा प्रणाली को समाप्त किये जाने की सहमति दी और कहा कि भारतीय रेलों पर प्रभावी व निर्बाध ढंग से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस व जिला पुलिस की प्रचलित त्रिस्तिरीय

सुरक्षा प्रणाली को रेलवे सुरक्षा बल और जिला पुलिस के द्विस्तरीय सुरक्षा प्रणाली में बदले जाने की आज जरूरत है। अन्य प्रश्न के अंतर्गत राज्य रेल मंत्री ने जानकारी दी की यात्रियों पर होने वाले सभी अपराधों का पंजीकरण व जॉच के लिए रेलवे सुरक्षा बल को सशक्त बनाने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय की सहमति एवं अनुमोदन के बाद रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 में संसोधन करने का प्रस्ताव रखे जाने है। इस रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम में प्रस्तावित संसोधनों पर राज्यों से टिपाणियॉ भी मॉगी गई है। अधिकांश राज्यों एवं संघ शासित राज्यों से टिप्पणियॉ भी प्राप्त हो चुकी है और 06 राज्यों की सहमति भी है। एक संघ शासित राज्य द्वारा किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई है। कुछ राज्य सरकारें अधिनियम के संशोधन का विरोध कर रहे है। जबकि 08 राज्यों ने कोई उत्तर नहीं दिया है।[5]

दिनांक 28.11.2014 कों राज्य सभा में एक अतारांकित प्रश्न जिसका शीर्षक ''रेल में बढ़ती अपराध की घटनाऍं'' पर राज्य सभा के सदस्य अश्कअली टॉक के द्वारा पूछे गये प्रश्न के संबंध में रेल राज्यमंत्री मंनोज सिन्हा ने कहा कि रेलों पर पुलिस की व्यवस्था करना राज्य सरकार का विषय है और चलती गाड़ियों एवं रेल परिसरों में अपराधों की रोकथाम के अलावा अपराध पंजीबद्ध करना, अपराध का अन्वेषण करना तथा कानून व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकारों की संविधिक जिम्मेदारी है। जिसका निर्वहन राज्य सरकारों के द्वारा राज्यकीय रेलवे पुलिस के मध्याम से की जाती है जबकि रेलवे सुरक्षा बल प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण गाड़ियों के मार्गरक्षण करते हुए राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यो में सहायता प्रदान करती है इसके अलावा महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्टेशनों पर पहुँच नियंत्रण ड्यूटियां भी की जाती है।[6]

एक अन्य अतरांकित प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री डी.वी.सदानंद गौड़ा ने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल रेल संम्पत्ति एवं रेल यात्रियों के साथ रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 तथा रेल संम्पत्ति (विधि विरूद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 से संबंधित मामलों में बचाव एवं सुरक्षा व्यवस्था को अमलीजामा पहनाने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस को मदद दी जाती है जबकि रेल पथ, पुल–पुलियां तथा सुरंगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला पुलिस की होती है।[7]

''राज्य सभा के सदस्य डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ के प्रश्न के उत्तर में दिनांक 27 फरवरी 2015 को रेल राज्य मंत्री मंनोज सिन्हा ने कहा कि रेल मंत्रालय ने सुनिश्चित किया है कि चलती गाड़ियों में टी.टी.ई. एवं राजकीय रेलवे पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा बल स्कॉट पार्टी अपने पास प्रथम सुचना रिपोर्ट फार्म रखेगे जिसे यात्री बिना यात्रा विराम के अपने शिकायत दर्ज कराया जा सके''।[8]

रेलवे अपराध

भारतीय रेल गाड़ियों में वर्ष 2012, 2013 , 2014, के दौरान यात्रियों के समानों की चोरी, हत्या और जहरखुरानी की घटनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन रेलवे जोनवार की गई है। राज्य सभा में 27 फरवरी 2015 को डॉ. विजय लक्ष्मी साधौ द्वारा पूछे गये अतरांकित प्रश्न के उत्तर में संबंधित परिशिष्ट के अनुसार निम्नांकित घटनाओं की तालिका निम्नानुसार है :–

भारतीय रेल में 2012 में घटित चोरी के जोनवार मामलें[9]

सारणी–1

रेलवे जोन	चोरी
मध्य	1244
पूर्व	424
पूर्व मध्य	496
पूर्व तट	426
उत्तर	897
उत्तर मध्य	444
पूर्वोत्तर	25
पूर्वोत्तर सीमा	131
उत्तर पश्चिम	418
दक्षिण	319
दक्षिण मध्य	1082
दक्षिण पूर्व	172
दक्षिण पूर्व मध्य	222
दक्षिण पश्चिम	143
पश्चिम	694
पश्चिम मध्य	1088
कुल	**8225**
औसत	**514**

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL. -5, ISSUE-4, May - 2017
E: ISSN No. 2349-9435 Periodic Research

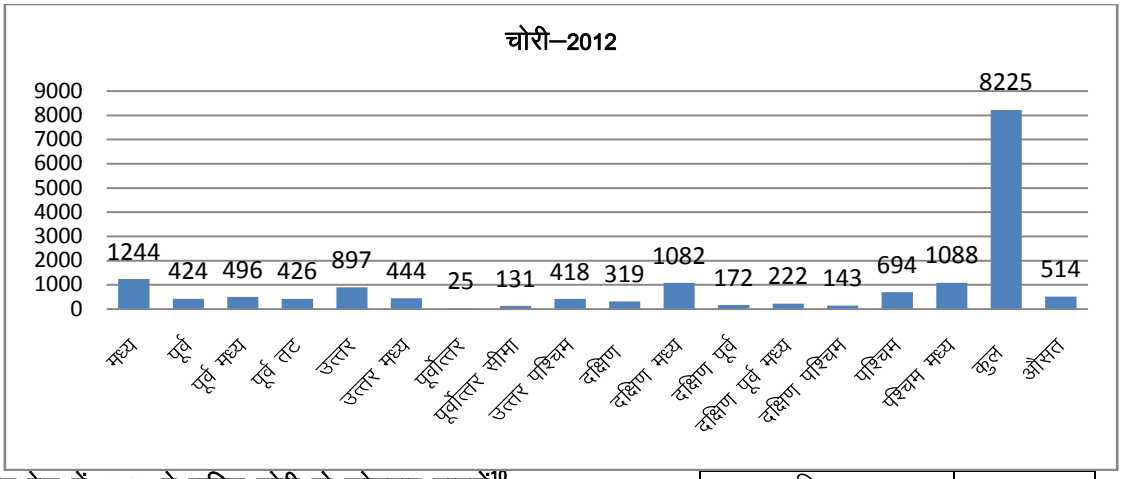

भारतीय रेल में 2013 मे घटित चोरी के जोनवार मामलें[10]

सारणी–2

रेलवे जोन	चोरी
मध्य	1241
पूर्व	487
पूर्व मध्य	570
पूर्व तट	336
उत्तर	883
उत्तर मध्य	417
पूर्वोत्तर	102
पूर्वोत्तर सीमा	144
उत्तर पश्चिम	480
दक्षिण	416
दक्षिण मध्य	970
दक्षिण पूर्व	255
दक्षिण पूर्व मध्य	249
दक्षिण पश्चिम	229
पश्चिम	825
पश्चिम मध्य	1587
कुल	**9191**
औसत	**574**

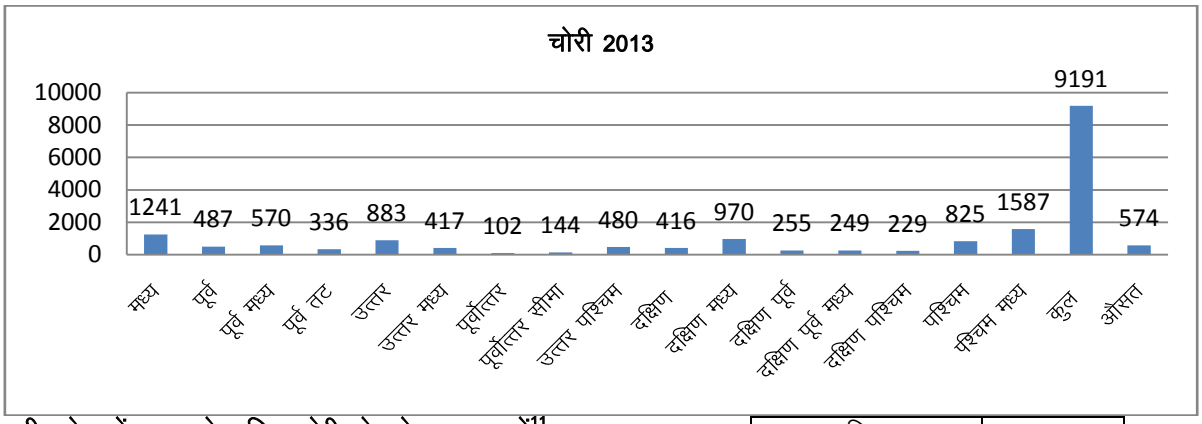

भारतीय रेल में 2014 मे घटित चोरी के जोनवार मामलें[11]

सारणी–3

रेलवे जोन	चोरी
मध्य	1936
पूर्व	451
पूर्व मध्य	738
पूर्व तट	393
उत्तर	1165
उत्तर मध्य	332
पूर्वोत्तर	189
पूर्वोत्तर सीमा	106
उत्तर पश्चिम	525
दक्षिण	483
दक्षिण मध्य	1382
दक्षिण पूर्व	366
दक्षिण पूर्व मध्य	243
दक्षिण पश्चिम	342
पश्चिम	1244
पश्चिम मध्य	1511
कुल	**11460**
औसत	**716**

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL. -5, ISSUE-4, May - 2017
E: ISSN No. 2349-9435 Periodic Research

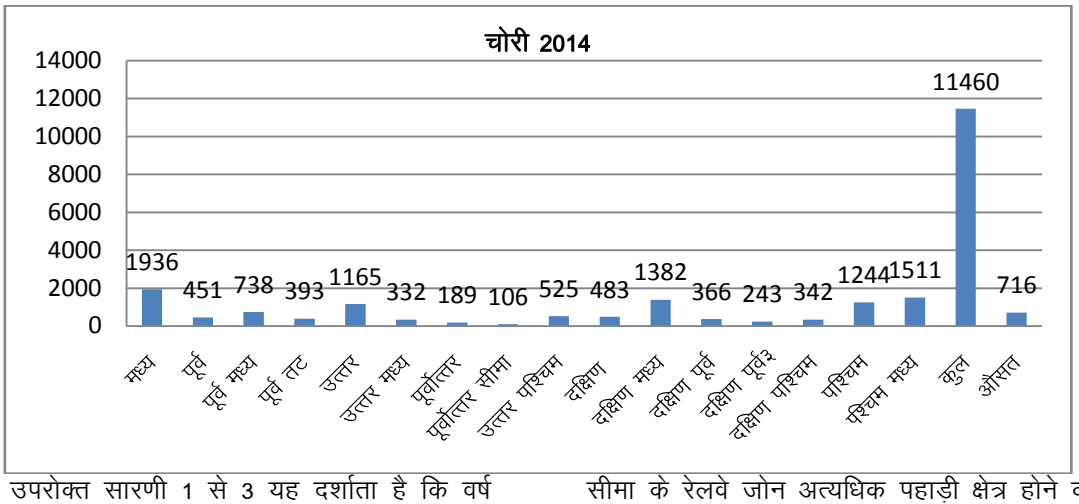

उपरोक्त सारणी 1 से 3 यह दर्शाता है कि वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 में चोरी की कुल वारदातें क्रमशः 8225, 9191 तथा 11460 हुई। जिसमें वर्ष 2012 एवं 2014 में सबसे अधिक चोरी की वारदातें मध्य रेलवे जोन में क्रमशः 1244 एवं 1936 हुई थी। जबकि वर्ष 2013 में पश्चिम मध्य रेलवे जोन में 1587 यात्रियों की यात्रा के दौरान सामानों की चोरी हुई। दक्षिण मध्य तथा पश्चिम मध्य रेलवे जोन में भी यात्रियों के सामान की चोरी होने की घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सबसे कम चोरियां पूर्वोत्तर रेलवे जोन में अपराध पंजीबद्ध किए गए है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण रेलवे जोन में चोरी की घटनाओं में कमी देखी गई है। पूर्वोत्तर एवं पूर्वोत्तर सीमा के रेलवे जोन अत्यधिक पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण रेलवे पट्टरियां कम बिछी हुई है। अर्थात रेल सेवाएँ कम होने के कारण वारदातों की संख्या में कमी दिग्दर्शित है। दक्षिण मध्य एवं पश्चिम मध्य जोन में रेलगाड़ियों की संख्या अत्यधिक होने के कारण ज्यदात्तर चोरी की घटनाओं में वृद्धि होना पाया गया है। यहां वर्ष 2012, 2013 तथा 2014 के आकड़ें से ज्ञात होता है कि वर्ष 2012 में वार्षिक औसतन चोरी की वारदातें 514, वर्ष 2013 में 574 तथा वर्ष 2014 में 716 मामलें पंजीबद्ध किये गये है। अर्थात प्रत्येक जोन से 500 से 700 चोरी की घटनाएँ प्रतिवर्ष हुई है।

भारतीय रेल में 2012 में घटित हत्या के जोनवार मामलें[12]

सारणी–4

रेलवे जोन	हत्या
मध्य	02
पूर्व	04
पूर्व मध्य	02
पूर्व तट	02
उत्तर	05
उत्तर मध्य	01
पूर्वोत्तर	02
पूर्वोत्तर सीमा	02
उत्तर पश्चिम	02
दक्षिण	00
दक्षिण मध्य	01
दक्षिण पूर्व	01
दक्षिण पूर्व मध्य	00
दक्षिण पश्चिम	00
पश्चिम	03
पश्चिम मध्य	02
कुल	**29**
औसत	**1.8125**

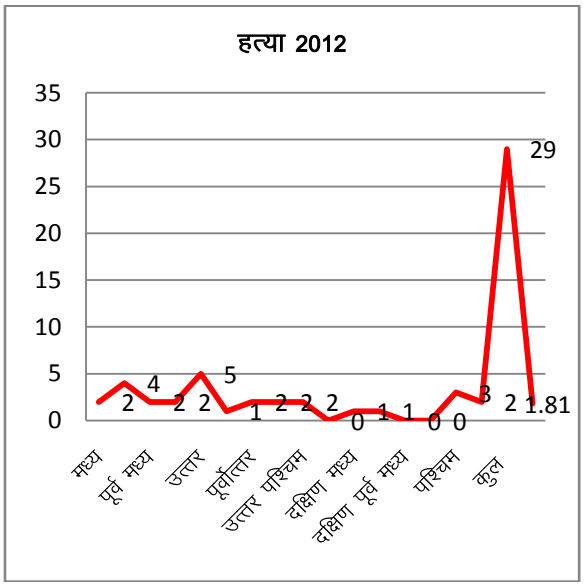

भारतीय रेल में 2013 मे घटित हत्या के जोनवार मामलें[13]
सारणी–5

रेलवे जोन	हत्या
मध्य	01
पूर्व	04
पूर्व मध्य	02
पूर्व तट	01
उत्तर	01
उत्तर मध्य	01
पूर्वोत्तर	06
पूर्वोत्तर सीमा	02
उत्तर पश्चिम	04
दक्षिण	01
दक्षिण मध्य	01
दक्षिण पूर्व	03
दक्षिण पूर्व मध्य	01
दक्षिण पश्चिम	00
पश्चिम	03
पश्चिम मध्य	01
कुल	**32**
औसत	**02**

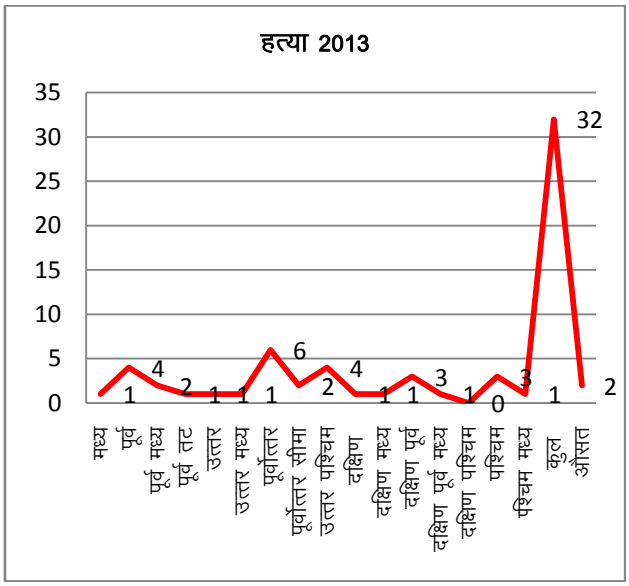

भारतीय रेल में 2014 मे घटित हत्या के जोनवार मामलें[14]
सारणी–6

रेलवे जोन	हत्या
मध्य	04
पूर्व	02
पूर्व मध्य	03
पूर्व तट	00
उत्तर	05
उत्तर मध्य	01
पूर्वोत्तर	03
पूर्वोत्तर सीमा	02
उत्तर पश्चिम	01
दक्षिण	03
दक्षिण मध्य	01
दक्षिण पूर्व	00
दक्षिण पूर्व मध्य	01
दक्षिण पश्चिम	00
पश्चिम	03
पश्चिम मध्य	01
कुल	**30**
औसत	**1.875**

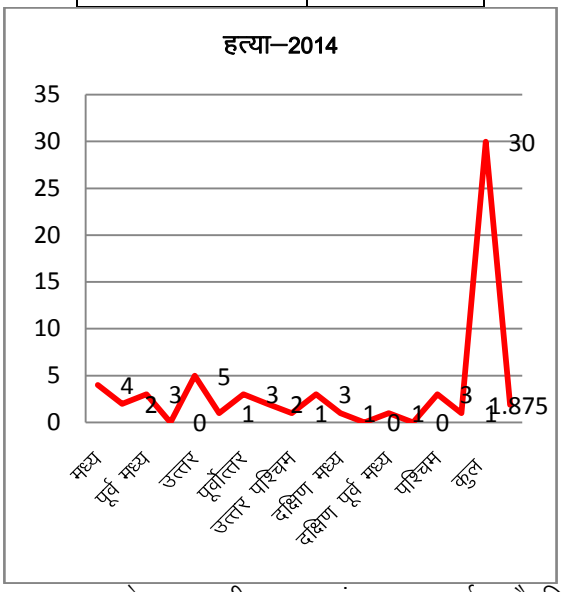

उपरोक्त सारणी 4, 5 एवं 6 यह दर्शाता है कि वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 में हत्या की कुल वारदातें क्रमशः 29, 32 तथा 30 घटनाएं हुई, जिसमें वर्ष 2013 में सबसे अधिक हत्या की वारदातें पूर्वोत्तर जोन में हुई है, तथा दूसरे स्थान पर वर्ष 2012 एवं 2014 में उत्तर जोन में क्रमशः 5–5 हुई थी। पूर्व मध्य, मध्य जोन तथा दक्षिण रेलवे जोन में हत्या की घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सबसे कम हत्या की वारदातें पूर्व तट तथा दक्षिण पूर्व में अपराध पंजीबद्ध किए गए। उत्तर मध्य, उत्तर पश्चिम एवं पूर्व रेलवे जोन में हत्या की अपराधों में कमी देखी गई है। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में हत्या का अपराध शून्य है। पूर्वोत्तर सीमा में हत्या के अपराध में समानता पाई गई है। यहां वर्ष 2012, 2013 तथा 2014 के आकड़ें से ज्ञात होता है कि वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 में वार्षिक औसतन हत्या की वारदातें लगभग 2 मामलें पंजीबद्ध किये गये है। अर्थात प्रत्येक जोन से 1 से 3 हत्या की घटनाएँ प्रतिवर्ष हुई है।

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL. -5, ISSUE-4, May - 2017

E: ISSN No. 2349-9435 Periodic Research

भारतीय रेल में 2012 मे घटित जहरखुरानी के जोनवार मामलें[15]

सारणी–7

रेलवे जोन	जहरखुरानी
मध्य	26
पूर्व	100
पूर्व मध्य	130
पूर्व तट	23
उत्तर	71
उत्तर मध्य	39
पूर्वोत्तर	39
पूर्वोत्तर सीमा	87
उत्तर पश्चिम	13
दक्षिण	02
दक्षिण मध्य	11
दक्षिण पूर्व	36
दक्षिण पूर्व मध्य	13
दक्षिण पश्चिम	05
पश्चिम	29
पश्चिम मध्य	02
कुल	**652**
औसत	**40.75**

भारतीय रेल में 2013 मे घटित जहरखुरानी के जोनवार मामलें[16]

सारणी–8

रेलवे जोन	जहरखुरानी
मध्य	34
पूर्व	66
पूर्व मध्य	114
पूर्व तट	26
उत्तर	39
उत्तर मध्य	08
पूर्वोत्तर	19
पूर्वोत्तर सीमा	82
उत्तर पश्चिम	09
दक्षिण	05
दक्षिण मध्य	13
दक्षिण पूर्व	20
दक्षिण पूर्व मध्य	13
दक्षिण पश्चिम	05
पश्चिम	09
पश्चिम मध्य	11
कुल	**473**
औसत	**29.5625**

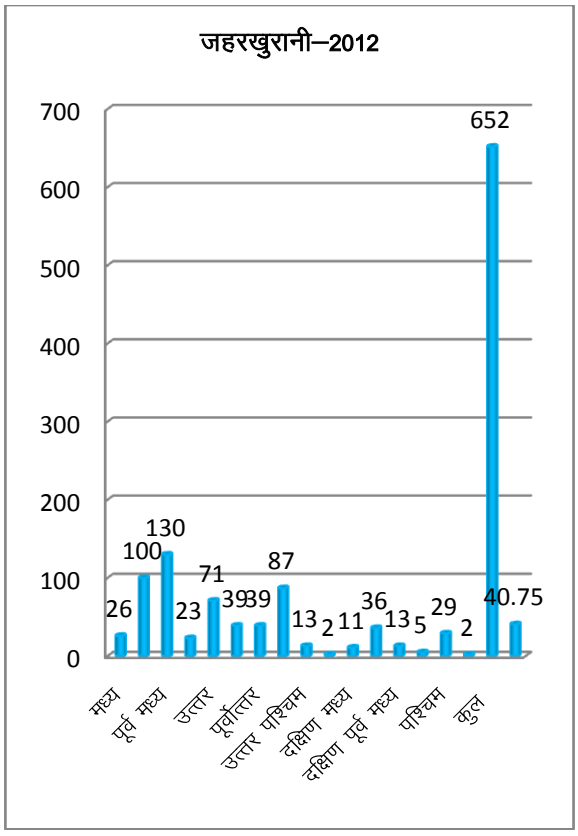

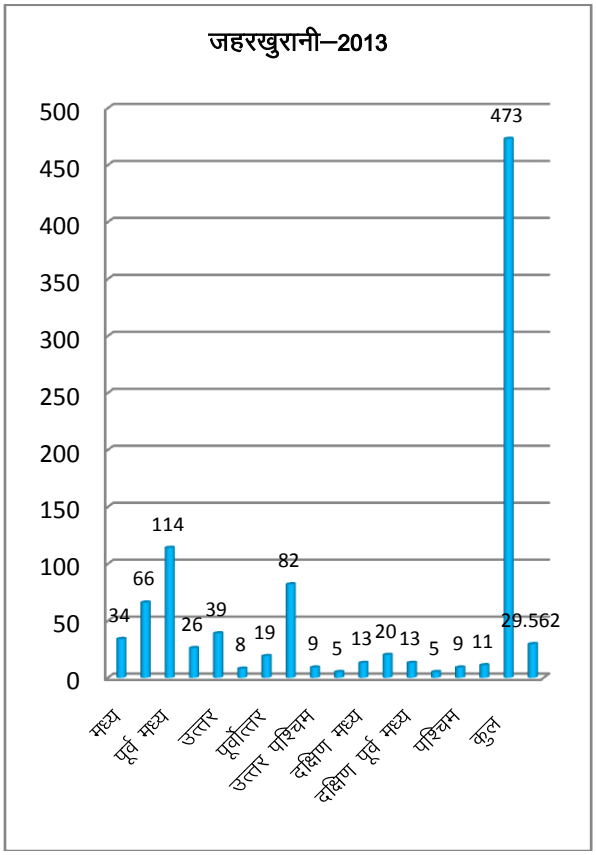

भारतीय रेल में 2014 मे घटित जहरखुरानी के जोनवार मामलें [17]

सारणी–9

रेलवे जोन	जहरखुरानी
मध्य	29
पूर्व	60
पूर्व मध्य	43
पूर्व तट	44
उत्तर	48
उत्तर मध्य	16
पूर्वोत्तर	20
पूर्वोत्तर सीमा	60
उत्तर पश्चिम	04
दक्षिण	12
दक्षिण मध्य	19
दक्षिण पूर्व	25
दक्षिण पूर्व मध्य	07
दक्षिण पश्चिम	06
पश्चिम	20
पश्चिम मध्य	24
कुल	**437**
औसत	**27.3125**

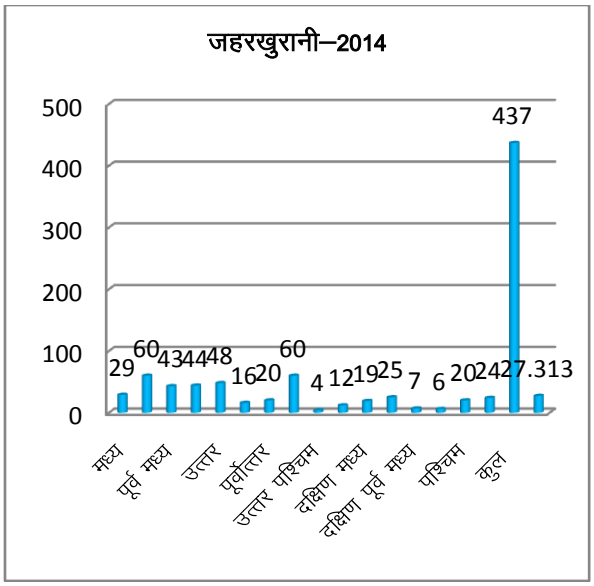

उपरोक्त सारणी 7, 8 एवं 9 यह दर्शाता है कि वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 में जहरखुरानी की कुल वारदातें क्रमशः 652, 473 तथा 437 हुई है । जिसमें वर्ष 2012 में सबसे अधिक तथा वर्ष 2014 में सबसे कम जहरखुरानी की अपराध पंजीबद्ध हुआ है। वर्ष 2012 में सबसे अधिक पूर्व मध्य जोन में जहरखुरानी का अपराध हुआ है। इसी प्रकार वर्ष 2013 तथा 2014 में पूर्व मध्य जोन तथा पूर्व , पूर्वोत्तर सीमा रेलवे जोन में अधिक जहरखुरानी की अपराध पंजीबद्ध कीया गया है। पूर्व तट, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण मध्य, दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य रेलवे जोन में जहरखुरानी की अपराधो में वृद्धि हुई है। सबसे कम जहरखुरानी का अपराध उत्तर पश्चिम में पंजीबद्ध कीया गया है। मध्य रेलवे जोन, पूर्व, पूर्व मध्य तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में जहरखुरानी की अपराधो में कमी देखी गई है। यहां वर्ष 2012, 2013 तथा 2014 के आकड़ें से ज्ञात होता है कि वर्ष 2012 में वार्षिक औसतन जहरखुरानी की वारदातें 41, वर्ष 2013 में 30 तथा वर्ष 2014 में 27 अपराध पंजीबद्ध किये गये है। अर्थात प्रत्येक जोन में 20 से 40 जहरखुरानी की घटनाएँ प्रतिवर्ष हुई है।

विश्लेषण

वर्ष 2012 से 2014 तक रेलवे में घटित चोरी, हत्या एवं जहरखुरानी जैसे घटनाओं का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि चोरी की घटनाएँ सर्वाधिक मध्य रेलवे जोन में हुई है जिसमें कुल घटनाओं 15 प्रतिशत घटनाएँ इस जोन से पंजीबद्ध किए गए थे। पश्चिम मध्य रेलवे दूसरा नम्बर पर है जिसमें 14.50 प्रतिशत घटनाएँ पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किए गए थे। इसी प्रकार तीसरा नम्बर पर दक्षिण मध्य रेलवे में अपराध पंजीबद्ध किए गए है जिसमें 12 प्रतिशत अपराध पंजीबद्ध किए जाने की जानकारी है। अर्थात यह कह सकते है कि मध्य रेलवे जोन में रेलवे यात्रियों को ज्यादा सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ती है। इन तीनों जोनों में चोरी की घटनाओं से यह ज्ञात होता है कि यहां ज्यादा पुलिस बल लगाये जाने की जरूरत है ताकि चोरी की घटनाओं में अंकुश लगाया जा सके।

हत्या जैसे संगीन अपराध चलती ट्रेनों में होना रेलवे तथा यात्रियों के लिए चिंता का विषय है। वर्ष 2012 से 2014 तक अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि हत्या के मामले पूर्व जोन में निरन्तर प्रत्येक वर्ष हुई है जिसमें प्रतिवर्ष औसतन तीन–चार घटनाएँ अवश्यक होती है। जब कि अन्य जोन में घटनाएँ घटित होती है जैसे पश्चिम जोन में इन तीन वर्ष में कुल घटनाएँ 09, पूर्वोत्तर जोन में 09 तथा अन्य जोन में कभी–कभी हत्या की घटनाएँ अवश्य हुई है। वर्ष 2012 के पूर्व हत्या के मामलों में स्थितियां ठीक थी लेकिन तीन वर्षों में हत्याओं के मामले में वृद्धि रेलवे पुलिस प्रशासन तथा यात्रियों के लिए चिंता का विषय है। हालांकि हत्याओं की संख्या कम है लेकिन एक हत्या अन्य घटनाओं की तुलना में यात्रियों के लिए अत्यधिक नुकसानप्रद माना जाता है। हत्या से यात्रियों के जीवन समाप्त होता ही है साथ ही उनसे जुड़ने वाले आश्रित परिवार को भी नुकसान पहुंचती है। हत्या जैसे मामले न हो इसके लिए रेलवे पुलिस बल को अत्यधिक सर्तक रहने की जरूरत है। पीड़ित पक्षकार को तत्काल मेडिकल सुविधाएँ मुहैया कराये जाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

वर्ष 2012 से 2014 तक रेलवे में घटित जहरखुरानी जैसे घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है, तो ज्ञात होता है कि जहरखुरानी की घटनाएँ सर्वाधिक पूर्व मध्य जोन में हुई है, जिसमें कुल घटनाओं का 15.6 प्रतिशत घटनाएँ इस जोन में पंजीबद्ध किये गये थें। क्रमशः दूसरे स्थान पर पूर्वोत्तर सीमा जोन आता है,जिसमें

14.7 प्रतिशत घटनाएँ पुलिस द्वारा पंजीबद्ध किये गये है। इसी प्रकार तीसरा नम्बर पर पूर्व रेलवे जोन में 14.5 प्रतिशत जहरखुरानी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जहरखुरानी के बढ़ते घटनाओं को देखते हुए रेलवे यात्रियों को सावधानी के साथ–साथ दूसरो के दिये हुये खाने की चीजो से भी परहेज करना होगा। तथा इसी प्रकार अपने साथ सफर कर रहे परिवार वालों व साथियों को इस घटना के बारे में सजग रहने के लिये जागरुक करना चाहिए।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय रेलवे में अपराध का स्थिति सन् 2012 से 2014 तक निम्न है। वर्ष 2012 में विभिन्न जोनों से 8225 चोरी की घटनाएँ, हत्याएँ 29 तथा जहरखुरानी की 652 घटनाएँ हुई। इसी तरह वर्ष 2013 में चोरी की कुल घटनाएँ 9191, हत्या 32 तथा जहरखुरानी 473 थी। वर्ष 2014 में चोरी 11460, हत्या 30 तथा जहरखुरानी 437 घटनाएँ रेलवे पुलिस द्वारा पंजीबद्ध किए गए थे। अर्थात रेल यात्राओं के दौरान यात्रियों की सामान चोरी होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। जबकि रेल यात्राओं में हत्या जैसे वारदातें कम हो रही है। भारतीय रेलवे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजकीय रेलवे पुलिस व रेलवे सुरक्षा बल की संख्या में कमी पायी गयी है, जो अपराध बढ़ने का एक कारण है। साथ ही टी.टी.ई. की संख्या में इजाफा किया जाना चाहिए। तथा विशेष रूप से राज्यसभा के माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्नोंत्तरी के माध्यम से पुछे गए प्रश्नों के अध्ययन से पता चलता है कि त्रिस्तिरीय सुरक्षा व्यवस्था को एकल सुरक्षा व्यवस्था में तब्दील किया जाना चाहिए। जिससे क्षेत्राधिकार को लेकर शंका की स्थिति न रहे। साथ ही एस.सी. कोचो में निजी स्टाफ व बेड़रोल सप्लायर से पेंट्रिकार तक सभी कर्मचारी शासकीय होने चाहिए। क्योंकि इनकी संलिप्तता अपराधों में ज्यादा पाई जाती है। साथ ही रेलवे यात्रीयों को भी अपने अधिकारो के साथ साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए यात्रा के दौरान सजगता बरतना एवं अपरिचिज लोगो द्वारा दिया गया खाद्य पदार्थ खाने से बचना चाहिए। जिसके द्वारा जहरखुरानी जैसे धटनाओं से बचा जा सकता है।साथ ही यात्रीयों को सफर के दौरान मंहगे आभूषण व मंहगे समान के साथ सफर से बचना चाहिए।

सुझाव

1. जागरुकता अभियान के द्वारा यात्रियों को रेलवे यात्रा में होने वाले अपराधों की जानकारी जागरुकता के माध्यम से, जैसे पॉपलेट बांटकर या रेड़ियो द्वारा देना होगा जो विभिन्न भाषा में प्रसारित होनी चाहिए, जिससे विभिन्न भाषा–भाषी इसका लाभ उठा सकें।
2. यात्रियों को यात्रा के दौरान अपने मंहगे आभूषण व समान के साथ यात्रा करते समय सतर्क रहना चाहिए।
3. आज जहरखुरानी जैसे बड़ते अपराध को ध्यान में रख कर हमेंशा यात्रा के दौरान अपने पास खाद्य समाग्री रखना चाहिये तथा दूसरों के द्वारा दिये खाद्य को लेने से बचना चाहिये।
4. रेलवे को अपराध मुक्त कराने के लिए हर नागरिक को सहायता देना चाहिए तथा उसके लिए उचित ईनाम की घोषणा किया जाना चाहिये।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *राज्यसभा के डिबेट अतारांकित प्रश्न, प्रकाशक: राज्यसभा सचिवालय नई दिल्ली*
2. *पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार रेल मंत्रालय*
3. *भारतीय रेल राष्ट्र की जीवन रेखा (श्वेत पत्र) फरवरी 2015, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली*
4. *नवभारत, रायपुर, गुरुवार, 28 अप्रैल 2016 पेज 04*
5. *Government of india ministry of railways railway board standing order no.-39*
6. *www.jagran.com/search.indian-railway-crime*
7. *http://www.pib.nic.in/newssite/hindifeature.aspx?relid=9042*
8. *http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/view-section.jsp?lang=1&id=0,1,261*
9. *http://www.deshbandhu.co.in/newsdetall//110058/2/157#view*
10. *http://www.railsamachar.com/news/734/read*
11. *http://ni.wikipedia.org/5/1620*
12. *http://www.indianrailways.gov.in*
13. *www.jstor.org*
14. *www.emeraldinsigst.com*
15. *कैशिक,देवेश, परिवहन भुगोल,अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, पेज, 91.*
16. *वार्ष्णेय जे.सी., आधुनिक परिवहन, कैलास पुस्तक सदन, चतुर्थ संस्करण, पेज 123.*
17. *www.dainik eypress.com*
18. *श्वेत पत्र भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली, फरवरी, 2015.*
19. *Gupta,Krishna kumar,pickpockets the mysrerious species,b.r.publishing corporation delhi,1987*
20. *Eugene Trivizas and Philip T. Smith " The Deter rent Effect at Terrorist Incidents on the Rates of Luggage Theft in Railway and Underground Station" The British Journal of Criminology Oxford University Press Vol.37 No.1*
21. *Sethu, Ravi R. " Turnaround in Indian Railways" A Study with Special Reference to Southern Railway P.G. Department of Commerce and Research Center Mahatma Gandhi University 19 July 2014-15*

पाद टिप्पणी

1. *वार्ष्णेय जे.सी., आधुनिक परिवहन, कैलास पुस्तक सदन, चतुर्थ संस्करण, पेज 123.*
2. *www.dainik eypress.com*
3. *श्वेत पत्र भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली, फरवरी, 2015.*
4. *कैशिक,देवेश, परिवहन भुगोल,अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, पेज, 91.*
5. *राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1895, 13/03/2015.*
6. *राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 741, 28/11/2014.*
7. *राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 62, 11/07/2014.*
8. *राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 616, 27/02/2015.*
9. *राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 616, 27/02/2015, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली.*

10. *राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 616, 27/02/2015, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली.*
11. *राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 616, 27/02/2015, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली.*
12. *राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 616, 27/02/2015, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली.*
13. *राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 616, 27/02/2015, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली.*
14. *राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 616, 27/02/2015, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली.*
15. *राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 616, 27/02/2015, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली.*
16. *राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 616, 27/02/2015, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली.*
17. *राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 616, 27/02/2015, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली.*